

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 07.11.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते 30प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा —

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई । जिसके फलस्वरूप 30प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

थाना को0देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/2008 धारा 30प्र0 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

धनन्जय पाण्डेय पुत्र छोटेलाल पाण्डेय निवासी नई बस्ती नकहरा रोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-51/2008 धारा 3(1) 30प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।